कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन
उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2024 / 1833 लखनऊःदिनांक 03 सितम्बर,2024

यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2024 के अन्तर्गत स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हे यू0पी0 नीट एम0डी0एस0 2024 के किसी भी चक्र की कांउसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
2. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट एम0डी0एस0 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्मय से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नही होगें।
3. स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से रू0 2000/– ऑनलाईन पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की कांउसलिंग में प्रतिभाग नही किये हो, एवं प्रथम बार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हो, उन्हे नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। **(निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की एम0डी0एस पाठ्यक्रम की सीट हेतु रू0 1,00,000/–लाख एवं राजकीय क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु रू0 30,000/–)**
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हे स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
6. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवंटित डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।
7. **यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट एम0डी0एस0 कांउसिलिंग 2025–26 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।**
8. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training U.P payabe at Lucknow)** के पक्ष में निर्गत हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** *एवं* ***www.dgme.up.gov.in*** पर उपलब्ध है।
9. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

11\. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्उ से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा नोडल सेन्टर पर प्रवेश लेने के उपरान्त संबंधित डेण्टल कालेज में रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

10\. नीट पी0जी0 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 09 जुलाई 2024 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।

11\. नीट एम0डी0एस0–2024 कांउसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के संबंध में ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक